कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016 , 291323, E-mail - dfosouth@rediffmail.com dfospanna@mpforest.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 1317 पन्ना, दिनांक 09/03/2022

प्रति,

जियो डिजीटल फाईबर लिमिटेड
3rd Floor DB City Mall,
Arera Hills, MP Magar Bhopal

विषय :- जियो डिजीटल फाईबर लिमिटेड द्वारा ओ.एफ.सी.लाईन कढ़ना लास्ट मील रूट ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/143645/2021 की औपचारिक स्वीकृति बावत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 372 दिनांक 03.03.2022 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / विविध / 2021 / 10-11 / 813 दिनांक 07.03.2022

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा कढ़ना लास्ट मील ओ.एफ.सी. लाईन लंबाई बिछाने हेतु ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/143645/2021 दिनांक 17.06.2021 को प्रस्तुत प्रस्ताव में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति मे निर्धारित शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल मे अपलोड कर हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 03.03.2022 को प्रेषित की गई है। प्रेषित पालन प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन वनपरिक्षेत्र पवई के कक्ष क्र.पी-560,561 में 4100 मी. वन परिक्षेत्र मोहन्द्रा कक्ष क्र. पी-1267 में लंबाई 1000 एवं चौड़ाई 0.50मी.कुल प्रभावित रकवा 0.255 हे. में मार्ग के किनारे से डाली जावेगी। प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र से औपचारिक स्वीकृति जारी करने हेतु अनुमोदन किया गया है।

अतः मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. / एफ-5 / 18 / 2002 / 10-3 भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर 2005 एवं पत्र क्र. / एफ-5:11 / 2006 / 10-3 भोपाल दिनांक 31 मई 2014 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एसपीए / 18 / 30.01.2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत वन भूमि में आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने की राईट ऑफ वे के तहत निम्न शर्तों के अधीन औपचारिक स्वीकृति दी जाती है।

1.वन भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही होगा।

2.वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार आवेदन के अनुसार 1.50 मी. गहरी एवं चौड़ाई 0.50 मी. वनपरिक्षेत्र पवई के कक्ष क्र.पी-560 मे 1858 मी. ,पी-561 में 2242 मी. ,वन परिक्षेत्र मोहन्द्रा कक्ष क्र. पी-1267 में लंबाई 1000 एवं कुल लंबाई 5100 मीटर,चौड़ाई 0.50मी.कुल प्रभावित रकवा 0.255 हे. में मार्ग के किनारे से डाली जावेगी।

3.वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़ कर अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जायेगा।

4.रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी से पुनः प्राप्त करनी होगी।

5.समतलीकरण कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर तत्काल खोदी गई खंती को उल्टे क्रम से समतल किया जावेगा।

6. समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिट्टी / पत्थर की आवश्यक्ता है तो वन क्षेत्र से उत्खनन नही किया जावेगा।

7.केबिल लाईन बिछाने हेतु खंती खोदते समय वनक्षेत्र व वनोपज को कोई नुकसान नही पहुचाया जावेगा।

8.यदि आवेदक संस्थान या उनके द्वारा वन भूमि में किसी भी प्रकार की हानि पहुचायी जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का आंकलन किया जावेगा तथा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा देय होगा।

9.भारत शासन/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल/वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा वर्तमान व भविष्य में जो भी शर्ते अधिरोपित की जावेगी वह शर्ते आवेदक संस्थान को मान्य होगी। इस संबंध में लिखित वचन–पत्र आवेदक संस्थान को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वनमंडलाधिकारी दक्षिण वन मंडल पन्ना को देना होगा।

10. कार्य के दौरान कार्य में लगे मजदूरों का जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था आवेदक संस्थान को स्वयं के व्यय पर नजदीकी डिपो से क्रय करा कर उपलब्ध कराना होगी।

11. यह स्वीकृति केवल प्रस्तावित वन क्षेत्र के लिये है।

12. यह स्वीकृति आवेदक संस्थान जियो डिजीटल फाईबर लिमिटेड द्वारा वन भूमि में कार्य आवेदक संस्थान अथवा उनके द्वारा अधिकृत एजेन्सी के द्वारा ही किया जावेगा।

13. उक्त स्वीकृति स्वीकृत आदेश दिनांक से 01 वर्ष की होगी। स्वीकृत अवधि समाप्त होने पर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।

14. क्षेत्र मे कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

15. आवेदित ओ.एफ.सी लाईन कढ़ना लास्ट मील रूट की जी.पी.एस.रीडिग निम्नानुसार है।

(1) N-24^0 06' 13.5" E-80^0 03' 39.9" (2) N-24^0 06' 12.8" E-80^0 04' 42.2"

(3) N-24^0 05' 46.87" E-80^0 02' 38.68" (4) N-24^0 06' 00.40" E-80^0 03' 19.00"

उपरोक्त शर्तों के अधीन आपको अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./2022/1318 पन्ना,दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपि :–

- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- मुख्य वनसंरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- उपवनमंडलाधिकारी पवई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई/मोहन्द्रा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। उक्त स्वीकृति की प्रति संबंधित प.स./बीटगार्ड को देवें एवं उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन न हो विशेष ध्यान रखा जावे।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)